विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में **'वर्ष 2017-18 के लिये माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी'** पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं सात प्रस्तर सम्मिलित हैं जिनका कुल ₹ 1,674.20 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसमें से सम्बन्धित विभाग ने ₹ 1,250.70 करोड़ की लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं ₹ 16.47 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की है। कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया हैः

अध्याय-I: सामान्य

वर्ष 2021-22 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,71,011.44 करोड़ थीं जिसमें से राज्य सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,58,803.71 करोड़ (42.80 प्रतिशत) थीं। भारत सरकार ने ₹ 2,12,207.73 करोड़ (57.20 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें से विभाज्य संघीय करों और शुल्कों का राज्यांश ₹ 1,60,358.05 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 43.22 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 51,849.68 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 13.97 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2021-22 के दौरान विगत वर्ष के सापेक्ष राज्य के अपने राजस्व में ₹ 27,060.26 करोड़ की वृद्धि हुई।

वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखाशीर्ष (तालिका 1.2 एवं 1.3 देखें) के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता इंगित करती है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

अध्याय- II: राज्य माल एवं सेवा कर

'वर्ष 2017-18 के लिये माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकाश में आयाः

छः क्षेत्रों में जीएसटीआर 3ए (जीएसटी विवरणी दाखिल न करने वाले चूककर्ताओं के लिये नोटिस) जारी करने और एएसएमटी–13 (उन मामलों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण आदेश जहाँ करदाताओं ने जीएसटीआर 3ए नोटिस का अनुपालन नहीं किया) एवं डीआरसी–07 (एएसएमटी–13 के अनुवर्ती के रूप में माँग आदेश का सारांश) जारी करने की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चूककर्ताओं से ₹ 9.85 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 2.6.1.1)

विवरणियों की संवीक्षा के मामलों में 552 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था एवं 312 मामलों में कार्यवाही पूर्ण की गयी थी एवं ₹ 33.67 करोड़ की वसूली की गयी थी जबकि ₹ 123.57 करोड़ की धनराशि वाले 240 मामले पूर्ण किये जाने हेतु लम्बित थे।

(प्रस्तर 2.6.1.3)

लेखापरीक्षा मैनुअल जारी करने में विलम्ब के कारण, विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखापरीक्षा सम्पादित की। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 की लेखापरीक्षा अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को पूर्ण वसूली की सूचना प्रदान नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 2.6.1.4)

विभाग ने ₹ 4,351.03 करोड़ के आईटीसी/कर/टर्नओवर के बेमेल 214 मामलों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है या जाँच प्रारम्भ कर दी है। इन मामलों में से विभाग ने 10 मामलों में ₹ 12.02 करोड़ की वसूली की है, 123 मामलों में ₹ 3,879.79 करोड़ के फार्म एएसएमटी–10 में करदाताओं को विसंगतियों से अवगत कराने के लिये नोटिस जारी किया है एवं 81 मामलों में ₹ 459.22 करोड़ हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

(प्रस्तर 2.6.2.3.अ)

लेखापरीक्षा ने 29 प्रकरणों में पाया कि कर योग्य व्यक्तियों ने या तो देर से अपनी कर देयता निर्धारित की थी या गलती से अतिरिक्त आईटीसी क्रेडिट का उपयोग किया था जिसे वापस कर दिया गया था लेकिन ब्याज भुगतान की धनराशि ₹ 1.76 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.6.3.2.अ)

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये 80 मामलों में से ₹ 92.77 करोड़ की अनुपालन कमियों के 57 मामले पाये गये। ये कमियाँ अनियमित रूप से आईटीसी का लाभ उठाने, अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाने एवं आईटीसी को कम या वापस न लेने के कारण थीं।

(प्रस्तर 2.6.3.3)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 80 मे से दो मामलों में ₹ 4.17 करोड़ की अनुपालन कमियाँ पायी गयी, क्योंकि कर योग्य व्यक्तियों ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अन्तर्गत गलत तरीके से कर देयता का निर्वहन किया जिसके कारण कर की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 2.6.3.4.ब)

अध्याय-III: स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने से बन्धक विलेखों पर ₹ 2.57 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.4)

निबन्धन हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में भूमि के पूर्ण/सही विवरण की घोषणा नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.28 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.5)

अध्याय-IV: खनन प्राप्तियाँ

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में देय अंशदान और/या रायल्टी की कुल राशि को चार खनन पट्टा विलेखों में प्रतिफल को शामिल न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 95.09 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 31.95 लाख के निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 4.3)

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में देय ₹ 2.27 करोड़ का अंशदान दो पट्टेदारों द्वारा जमा नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.4)

अध्याय-V: अन्य कर प्राप्तियाँ

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अतिरिक्त कर के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 985 उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों पर ₹ 6.43 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 5.3)

बिना परमिट के संचालित 1,222 वाहनों पर आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 2.02 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 5.4)

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्रों के बाहर संचालित 112 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 1.97 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 5.5)